

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।</p>	17	<p>वन मंडल दक्षिण बालाघाट के परिक्षेत्र कटंगी के PF-793 के रकबा 8.1 हेक्टेयर वनभूमि में डोलोमाइट खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन हेतु मेसर्स ई एम के ई मिनरल्स को वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा मुख्य वन संरक्षक बालाघाट के अनुशंसा से सहमत होते हुये " वन्यप्राणी प्रबंधन योजना " जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल से अनुमोदित हो के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sd/- 10/03/2021
(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

तिथि: 10 / 03 / 2021

स्थान: भोपाल